भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1597
मंगलवार, 26 जुलाई, 2022/04 श्रावण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

विचाराधीन कैदी

1597. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश भर के कारागारों में कितने विचाराधीन कैदी बंद हैं और उनका ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने कैदी दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं;

(ख) क्या देश के कारागारों में ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जो अपनी आर्थिक तंगी के कारण अधिवक्ता के अभाव में अपना मुकदमा लड़ने में अस्मर्थ हैं; और

(ग); यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है तथा इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिसटिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2020 की है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार देश की जेलों में विचारणाधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-। में दी गई है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार देश की जेलों में विचारणाधीन कैदियों की जाति-वार और धर्म-वार संख्या क्रमशः अनुलग्नक-।। और ।।। में दी गई है।

(ख) और (ग): यह सूचना केंद्रीयकृत रूप में नहीं रखी जाती है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि 4 के तहत 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति' "राज्य सूची" के विषय हैं। कैदियों का प्रशासन एवं प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं। देश की जेलों में लगभग 1181 विधिक सेवा क्लीनिक हैं, जिन्हें पैनल में शामिल विधिक सेवा अधिवक्ताओं और प्रशिक्षित पैरा-विधिक स्वयंसेवकों

द्वारा संचालित किया जाता है। जेलों में ऐसे क्लीनिक यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि कोई भी कैदी सहायता से वंचित न रहे और उन्हें विधिक सहायता तथा सलाह प्रदान की जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) निःशुल्क विधिक सहायता, प्ली बार्गेनिंग, लोक अदालत और कैदियों के जमानत के अधिकार सहित उनके विधिक अधिकारों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जेलों में जागरूकता शिविर भी लगाता है। गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए 'आदर्श कारागार मैनुअल 2016' में भी 'कानूनी सहायता' पर एक अध्याय है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि राज्यों को गरीब और सहायता से वंचित कैदियों की सहायता के लिए सप्ताह के निर्धारित दिनों में विभिन्न कारागारों का दौरा करने हेतु जेल में आने वाले अधिवक्ताओं को नामित करने की पद्धति अपनानी चाहिए।

******

अनुलग्नक-I

दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार देश की जेलों में विचारणाधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	आंध्र प्रदेश	5001
2	अरुणाचल प्रदेश	127
3	असम	6495
4	बिहार	44187
5	छत्तीसगढ़	11963
6	गोवा	419
7	गुजरात	10195
8	हरियाणा	14951
9	हिमाचल प्रदेश	1574
10	झारखंड	17103
11	कर्नाटक	10577
12	केरल	3569
13	मध्य प्रदेश	31712
14	महाराष्ट्र	26171
15	मणिपुर	506
16	मेघालय	821
17	मिजोरम	609
18	नागालैंड	261
19	ओडिशा	15619
20	पंजाब	15643
21	राजस्थान	16930
22	सिक्किम	328
23	तमिलनाडु	8709
24	तेलंगाना	3946
25	त्रिपुरा	472
26	उत्तर प्रदेश	80557
27	उत्तराखंड	3906
28	पश्चिम बंगाल	20144
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	194
30	चंडीगढ़	619
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	138
32	दिल्ली	14506
33	जम्मू और कश्मीर	3717
34	लद्दाख	21
35	लक्षद्वीप	2
36	पुदुचेरी	156
	कुल	**371848**

अनुलग्नक-।।

दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जाति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य
1	आंध्र प्रदेश	957	646	1616	1782
2	अरुणाचल प्रदेश	0	82	0	45
3	असम	1203	1362	1740	2190
4	बिहार	8960	1622	22868	10737
5	छत्तीसगढ़	1771	4506	3970	1716
6	गोवा	63	58	42	256
7	गुजरात	1175	1697	5150	2173
8	हरियाणा	4294	184	3919	6554
9	हिमाचल प्रदेश	411	113	204	846
10	झारखंड	2732	4320	7084	2967
11	कर्नाटक	2177	1039	4802	2559
12	केरल	795	138	1706	930
13	मध्य प्रदेश	8059	7657	10430	5566
14	महाराष्ट्र #	-	-	-	-
15	मणिपुर	5	160	41	300
16	मेघालय	45	579	15	182
17	मिजोरम	17	584	0	8
18	नागालैंड	23	191	33	14
19	ओडिशा	4460	4167	3879	3113
20	पंजाब	5983	321	2642	6697
21	राजस्थान	3325	2686	6993	3926
22	सिक्किम	54	82	131	61
23	तमिलनाडु	2482	307	5624	296
24	तेलंगाना	662	408	1007	1869
25	त्रिपुरा	107	90	64	211
26	उत्तर प्रदेश	20389	4295	34233	21640
27	उत्तराखंड	830	207	1134	1735
28	पश्चिम बंगाल	2785	1029	3405	12925
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	7	4	183
30	चंडीगढ़	212	1	146	260
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	11	24	50	53
32	दिल्ली	3525	239	4631	6111
33	जम्मू और कश्मीर	168	223	53	3273
34	लद्दाख	0	5	0	16
35	लक्षद्वीप	0	2	0	0
36	पुदुचेरी	36	0	120	0
	कुल	**77716**	**39031**	**127736**	**101194**
# महाराष्ट्र ने ब्यौरा प्रदान नहीं किया					

अनुलग्नक-।।।

दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार विचारणाधीन कैदियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार धर्म

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हिंदू	मुसलमान	सिख	ईसाई	अन्य
1	आंध्र प्रदेश	4292	501	7	201	0
2	अरुणाचल प्रदेश	52	5	0	60	10
3	असम	2668	3403	81	169	174
4	बिहार	36937	7007	158	62	23
5	छत्तीसगढ़	10860	683	90	199	131
6	गोवा	324	48	0	47	0
7	गुजरात	8099	1860	131	83	22
8	हरियाणा	11839	2096	911	96	9
9	हिमाचल प्रदेश	1379	78	65	32	20
10	झारखंड	12486	3267	73	1153	124
11	कर्नाटक	7636	2482	5	396	58
12	केरल	1865	984	0	707	13
13	मध्य प्रदेश	27134	4014	355	82	127
14	महाराष्ट्र #	-	-	-	-	-
15	मणिपुर	212	92	0	165	37
16	मेघालय	182	77	0	540	22
17	मिजोरम	18	34	0	539	18
18	नागालैंड	48	20	1	192	0
19	ओडिशा	13970	830	22	745	52
20	पंजाब	4659	722	9047	779	436
21	राजस्थान	12719	3161	888	19	143
22	सिक्किम	226	13	0	59	30
23	तमिलनाडु	6603	1041	1	1054	10
24	तेलंगाना	2725	1041	14	138	28
25	त्रिपुरा	334	103	0	11	24
26	उत्तर प्रदेश	56443	22849	492	152	621
27	उत्तराखंड	2336	1199	334	37	0
28	पश्चिम बंगाल	11130	8774	32	129	79
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	101	15	0	60	18
30	चंडीगढ़	538	36	41	4	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	80	58	0	0	0
32	दिल्ली	9999	3902	255	340	10
33	जम्मू और कश्मीर	1152	2381	160	24	0
34	लद्दाख	3	7	0	0	11
35	लक्षद्वीप	0	2	0	0	0
36	पुदुचेरी	141	5	0	10	0
	कुल	**249190**	**72790**	**13163**	**8284**	**2250**

महाराष्ट्र ने ब्यौरा प्रदान नहीं किया